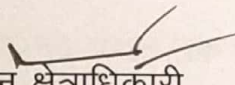


सिविल भूमि वृक्षारापेण प्रमाण-पत्र,

प्रमाणित किया जाता है कि मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 797/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट के अन्तर्गत बाजबगड़-रुईसाण मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली सिविल/आरक्षित वन भूमि के समतुल्य क्षतिपूर्ति वृक्षारापेण हेतु ग्राम स्यारी-बंगाली तहसील घाट में 15.900 हे., सिविल भूमि वृक्षारापेण हेतु प्रस्तावित है, जो ज.वि.र. खतौनी के श्रेणी 9 (3) (ड) व श्रेणी 10 (4) भूमि दर्ज है, जो वृक्ष विहीन व वन स्वरूप नहीं है।


बन क्षेत्राधिकारी,
नन्दप्रयाग


राजस्व उप निरीक्षक,
घाट